

**प्रेस-विज्ञप्ति  
थाना अहरौला**

**दो राशि गाय व एक राशि बछिया को काटने ले जा रहे दो अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तार तथा गौ तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत दिनांक 25-12-20 को चौकी प्रभारी शैलेश कुमार यादव मय हमराही का० आशीष यादव के साथ कस्बा माहुल में वाहन चेकिंग कर रहे थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिला कि दो व्यक्ति गाय व बछवा काटने के लिये ले जा रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास कर उ०नि० शैलेश कुमार यादव द्वारा जरिये मोबाइल हे०का० भवानी शंकर शर्मा, का० विनोद गिरी को कस्बा माहुल पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया। कुछ समय बाद हे०का० भवानी शंकर शर्मा, का० विनोद गिरी के साथ कस्बा माहुल पहुंचे। उक्त सूचना से सभी को अवगत कराकर ग्राम राजवापुर माफी के तरफ चल दिये गांव के करीब पहुंचकर देखा गया कि दो व्यक्ति पंचायत भवन (चकमकसूदजहाँ) कच्ची सड़क पकड़कर आ रहे थे। मुखबीर उन की तरफ इशारा कर के वहां से हट गया। पुलिस बल द्वारा उनको रूकने लिए टार्च की रोशनी से इशारा किया गया तो दोनो व्यक्ति गाय को छोड़कर भागने लगे। पुलिस बल द्वारा घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर दोनो व्यक्तियों को समय करीब 8.50 रात्रि गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम शहनवाज S/O बेचन R/O कस्बा माहुल वार्ड नं-8 थाना अहरौला जिला आजमगढ़ व दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम जैश s/o स्व० रफीक R/O कस्बा माहुल वार्डनं-8 थाना अहरौला जि० आजमगढ़ बताया। मौके से दो राशि गाय व एक राशि बछिया बरामद किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 215/2020 धारा 3/5क(छ)5(ख)8(1) गोवध निवारण अधि० संशोधन 2020 पंजीकृत कर अभियुक्तगणों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण**

- 1- शाहनावज पुत्र बेचन सा० कस्बा माहुल वार्ड नं० 8 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
- 2- जैश पुत्र स्व० रफीक सा० कस्बा माहुल वार्ड नं० 8 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

**बरामदगी**

दो राशि गाय व एक राशि बछिया

**पंजीकृत अभियोग**

मु०अ०स० 215/2020 धारा 3/5क(छ)5(ख)8(1) गोवध निवारण अधि० संशोधन 2020 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

- 1- उ०नि० शैलेश कुमार यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
- 2- हे०का० भवानीशंकर शर्मा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
- 3- का० आशीष यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
- 4- का० विनोद गिरी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।